

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद/ प्रतापगढ़

पत्र सं०-एफ०पी०/सी०एफ०ओ०/आई०-06/2017

दिनांक- 15/01/2018

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ़।

विषय:- गाटा संख्या- 1406 ग्राम- नरई, थाना- संग्रामगढ़ तहसील- कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या-मेमो/जे०ए०/2017 दिनांक :- जनवरी 01, 2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड कानपुर द्वारा संलग्न पत्र दिनांक-27/12/2017 के अनुसार गाटा सं०-1406, ग्राम- नरई, थाना- संग्रामगढ़ तह०- कुंडा, जनपद- प्रतापगढ़ में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रतापगढ़ श्री महेंद्र प्रसाद द्वारा निरीक्षण कराया गया उनसे प्राप्त आख्या के आधार पर उक्त स्थल अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया वस्तुतः मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

भवन की संरचना-

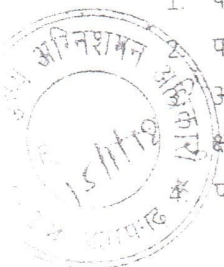
1. कुल भूखण्ड एरिया-39X34.50 वर्ग मी० लगभग।
2. निर्मित भूतल कवर्ड एरिया- 63 वर्ग मी० प्रस्तावित है।
3. भवन की ऊँचाई- 3.5 मी०।
4. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० में हैजार्ड समूह के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

वांछागत व्यवस्था:-

1. पहुँच मार्ग- फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई- मानक के अनुसार वांछित है।
3. सेट-बैक- प्रस्तावित भवन का सेट-बैक मानक के अनुसार अनुमन्य है। सेट-बैक सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा। किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

अग्निशमन व्यवस्थाएं-

1. फायर एक्सटिंग्युशर ए०बी०सी० टाइप क्षमता 09 k.g.- का 08 अदद।
2. फायर एक्सटिंग्युशर CO2 टाइप क्षमता 4.5 k.g. का 02 अदद।
3. आफिस रूम में CO2 फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता 4.5 k.g. एवं ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता 06 k.g. का 1, 1 अदद।
4. फोम टूली क्षमता 50 k.g, 01 अदद।

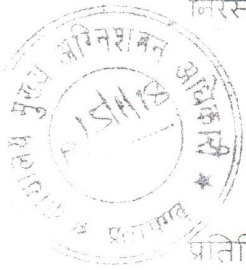


Handwritten signature

Handwritten signature
अवधेश कुमार पाण्डेय
उपमहाप्रबन्धक - रिटेल क्षेत्र
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
कानपुर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय

5. बालू का रिजर्व स्टाक 10 घन फिट ।
6. फायर बकेट 08 अदद ।
7. सावेल 02 अदद ।
8. पेट्रोल पम्प पर धूमपान निषेध का बोर्ड एवं फायर स्टेशन का टेलीफोन नम्बर 101 एवं 9454418576 अंकित कराया जायेगा ।
9. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत कर्मचारियों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग प्रत्येक दशा में दिलायी जायेगी ।
10. पेट्रोल पम्प तीन तरफ 06 फिट उंची दीवाल उठाकर उसके ऊपर कटीले तार लगाये जायेंगे ।
11. समरसेबुल पम्प जो 2 इन्च साइज डिलेवरी का इलेक्ट्रिक व डीजल चालित व्यवस्था से जुड़ा रहेगा ।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त स्थल पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु अग्निशमन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन इकाई पेट्रोल/डीजल पम्प पर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधानों को भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया में उल्लिखित मानकों के अनुसार पूर्ण करायी जायेगी । तथा भवन इकाई के निर्माणोपरान्त पेट्रोल/डीजल का भण्डारण एवं वितरण तथा प्रयोग करने से पहले अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कराने के बाद उसका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन इकाई पेट्रोल/डीजल आउटलेट पम्प निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।



प्रतिलिपि:- आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

(रवीन्द्र शंकर मिश्र)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मुहम्मद अली जहाँ/प्रतापगढ़

प्रतापगढ़

08/01/2012
अवधेश कुमार पाण्डेय

उपमहाप्रबंधक - रिटेल क्षेत्र
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
कानपुर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय